


10/8/2020

पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट
उपस्थित रहस वकील अपीलान्ट का
मकान किया गया। पत्रावली का डेवलपमेंट
किया गया अपीलान्ट द्वारा नामान्तरण
संख्या 653 दिनांक 20.11.2014 गुजरात हाइकोर्ट
पणजी जयंगीरपुर से अपीलान्ट होकर
यह अपीलान्ट प्रस्तुत की है नामान्तरण
मूलक संशोधन पुस्तकें जारी
करवा निवासी जयंगीरपुर की
विरासत का दर्ज किया गया है
जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम
संशोधन के आधार पर पुस्तकें
दर्ज हो गया है जो तकनीकी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
	<p>अहिले ही नामान्तरण पर सोमोला पुत्र सुब्बु का सजरा दर्ज है जिसमे अफीलान्ट के पिता का नाम सोमोला ही ऐसी स्थिति में जैर अफील नामान्तरण विधि विरुद्ध है रिकॉर्ड में विपरीत है। और निरस्त किये जाने योग्य है। और पत्रावली पुनः सुनवाई को तहसीलदार करौली को रिमाण्ड किये जाने योग्य है और अफील अफीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तरण नम्बर 653 दिनांक 20.11.2014 ग्राम इफलपुर पटवार हल्का मिहोमीपुर निरस्त किया जाता है मूल नामान्तरण तहसीलदार करौली इस निर्देश के साथ पुनः सुनवाई को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते हैं कि अफीलान्ट के पिता के धारितविक नाम ही जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करने को धात जांच नामान्तरण विधिति करें। मूल नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे पत्रावली फाइल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद नकमील दारिवल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया।</p>	<p>जारी 1076 31-8-2020 पत्रके साथ मूल नामांक ही 607 है 653 नं. पुनः इफलपुर जिल्द एक ग्राममोप पत्रके साथ आदेश का नंबर 1076 है तहसीलदार करौली</p>


 उपखण्ड अधिकारी
 करौली (राज०)